आवेदक ने दिनांक 18/5/2017 के जवाब पत्र पर
प्रश्न किया जो आपत्ति मिसल किया गया प्रार्थी
के प्रा.पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि
प्रार्थी ने खसरा ग्राम खेतसर के ख.नं. 74 रकबा
7.15 बीघा में से सी.डी. रास्ता को बदल कर ख.नं. 77
के चिपट रास्ता छोड़ कर शुद्ध व प्रस्ताव आपत्ति
किये गए थी इस उपरान्त की ही अपीलार्थी तहसीलदार
आपने अपने जवाब में बताया कि ख.नं. 74
रकबा 7.15 बीघा सी.डी. रास्ता वक्त सेटलमेंट
के समय से ही खसरा रेकर्ड में दर्ज हुआ है
धारा 136 LR Act के अन्तर्गत अ-प्रबन्ध के स्वरूप
का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है अतः प्रा.पत्र
अस्वीकृत किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड जवाब प्रा.पत्र का
अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम खेतसर के ख.नं.
74 रकबा 7.15 बीघा भूमि में से सी.डी. रास्ता को छोड़ कर नहीं
किये गए में खसरा अधिकारियों द्वारा उक्त रास्ता
की गई है प्रार्थी के पूर्व के खातेदारों द्वारा उक्त रास्ता
के संबंध में कोई एतराज कभी नहीं किया गया रास्ता
काफी किये जाने में कोई अशुद्ध नहीं होने से प्रार्थी
का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act के तहत
पोषणीय नहीं है अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र पोषणीय
नहीं होने से खारिज किया जाता है मिसल फैसल
प्रहार घेर खारिज खाता हो नाबार्ड के प्रहार

(राजेन्द्र कुमार डांगा)
RAS